दो व्याख्याताओं ने विद्यालय विकास में सहयोग दिया

छबड़ा (निसं)। उच्च माध्यमिक विद्यालय पाली के दो व्याख्याताओं ने विद्यालय विकास में सहयोग प्रदान किया। वरिष्ठ अध्यापक मुकेश सोनी ने बताया कि हिंदी के व्याख्याता रामधारीसिंह मीणा ने 12500 रुपये कीमत की ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक बेल विद्यालय को भेंट की। व्याख्याता महेंद्रसिंह ने विद्यालय विकास कोष में 5100 रुपये की राशि भेंट कर भामाशाह के रूप में अपना अग्रणी योगदान दिया। प्रधानाचार्य द्वारकालाल मेघवाल एवं समस्त स्टाफ ने दोनों व्याख्याताओं का आभार प्रकट किया। सोनी नें कहा कि शास्त्रों में उल्लेख आता है कि तप, सेवा, सुमरण ओर समर्पण के भाव से ही निजी और राजकीय सेवा संस्थान आगे बढ़ते हैं। निजी में तो लाभ के गणित से सुविधाओं के लिए शुल्क वसूली की जा सकती है और लोग बदले में सेवा ले लेते है, लेकिन सरकारी संस्थाओं में लोग ऐसा नही समझते। सरकारी सम्पतियों को भी घर की तरह उपयोग करें और शिक्षा के मंदिरों में ही दान करेगें तो भगवान की सेवा से विद्या मन्दिर की सेवा कम नहीं होंगी।

बैठक में निराश्रित गौवंश, सड़क, बिजली, अतिक्रमण, सफाई पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए

■ एस.डी.एम. रामसिंह गुर्जर की अध्यक्षता में प्रशासन व जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई

छबड़ा (निसं)। छबड़ा कस्बे की मूलभूत समस्याओं के निराकरण को लेकर मंगलवार शाम को पालिका के सभागार भवन में एसडीएम रामसिंह गुर्जर की अध्यक्षता में प्रशासन व जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। जिसमें मुख्य रूप से निराश्रित गायों को गौशाला में पहुंचाना, सड़कों पर जमे अतिक्रमियों को बेदखल करने, सफाई व विद्युत व्यवस्था को दुरूस्त किए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पालिका प्रशासन द्वारा शीघ्र ही टेंडर जारी कर कस्बे की सड़कों पर घुम रहे गौवंश को सुविधा अनुसार विभिन्न गौशालाओं में पहुंचाया जाएगा। यहां एसडीएम ने कटीखंडी स्थित श्री गोपाल गौशाला की व्यापक जांच के लिए कमेटी गठित कर तीन दिन में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।

बैठक में हानाहेड़ी, हनुवतखेड़ा, चांचोड़ा, गुगोर एवं छबड़ा स्थित गौशालाओं का संचालन कर रहे प्रतिनिधि व अध्यक्ष उपस्थित रहे। यहां प्रशासन ने इन सभी से गौशालाओं की वर्तमान स्थिति व गायों के रख-रखाव पर व्यापक चर्चा की और कहां कितनी गायों का समायोजन किया जा सकता है, बीमार व घायल गायों के परिवहन व उपचार आदि की व्यवस्था को लेकर भी आवश्यक निर्णय लिए। थोक सब्जीमंडी व्यवसाईयों को कटीखंडी के निकट मोटर मार्केट के पास स्थापित करने, कस्बे में यहां वहां खडे फल-फ्रुटों के ठेलों को निर्धारित स्थान पर जगह देने, ऑटो वालों को टेलीफोन एक्सचेंज के सामने खड़ा करने एवं धरनावदा चौराहे से 100 फीट मार्ग के दोनों ओर से अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया। बैठक में किराना व्यवसाईयों के ट्रकों के आवागमन को दिन में जारी करने का निर्णय लिया गया। कस्बे की निराश्रित गायों को गौशाला में पहुंचाने के लिए शीघ्र ही पालिका द्वारा टेंडर जारी किया जाएगा। कस्बे में लंबे समय से निस्वार्थ भाव से गौवंश की सेवा करने वाले पार्षद रहे मुकेश पांचाल व उसके साथियों की प्रशासन ने प्रशंसा करते हुए उन सभी से गौसेवा में आने वाली परेशानियो को लेकर व्यापक चर्चा की।

बैठक में डीएसपी विकास चौधरी, तहसीलदार यादवेन्द्र यादव, सीआई राजेश खटाना, पशु चिकित्सा अधिकारी राधेश्याम सुमन, प्रधान हरिओम नागर, भाजपा नेता हिम्मतसिंह सिंघवी, भाजपा मंडल अध्यक्ष भूपेन्द्र सुमन, फूलसिंह मीणा, अशोक गौड, नवीन उपाध्याय, रितेश शर्मा, सीपी गेरा, हरिओम गौड, खालिद राणा, बुलंद इकबाल सहित कई सदस्य मौजूद थे।

सार-समाचार

नहर में डूबने से बालक की मौत

कोटा, (निसं)। बोरखेड़ा थाना इलाके में दाई मुख्य नहर में नहाते समय एक बालक नहर में डुब गया। बालक के नहर में डुबने की सूचना पाकर पुलिस व नगर निगम की गौताखोर टीम मौके पर पहुंची। गोताखोर टीम ने नहर में स्कूबा डाईविंग की और करीब 45 मिनट की मशक्कत के बाद बालक को नहर से बाहर निकाल कर पुलिस को सौंपा। बालक को उपचार के लिये अस्पताल लाया गया। जहां चिकित्सक ने जांच के बाद बालक को मृत घोषित कर दिया। नगर निगम गोताखोर विष्णु श्रंगी ने बताया कि मंगलवार को दोपहर के समय बोरखेड़ा इलाके के सीसीएच मल्टी स्टोरी के सामने दाई मुख्य नहर में एक बालक के नहर में डुबने की सूचना मिली। विष्णु श्रंगी ने बताया कि सूचना पाकर टीम लेकर मौके पर पहुंचे, गोताखोर टीम ने नहर में स्कूबा डाईविंग की और करीब 45 मिनट की मशक्कत के बाद बालक को नहर से बाहर निकाला। बोरखेड़ा थानाधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि दाई मुख्य नहर में नहाते समय एक बालक नहर में डुब गया। निगम की गोताखोर टीम ने रेसक्यू कर नहर में डुबे बालक को बाहर निकाला। थानाधिकारी ने बताया कि नहर में डुबने से नगर निगम कॉलोनी छावनी निवासी दिव्याशु (11) की मौत हो गई। पुलिस ने कार्यवाही कर मृतक के शव को परिजनों को सौंप दिया।

मकान में चोरों ने हाथ साफ किया

कोटा, (निसं)। विज्ञान नगर थाना इलाके में मकान के अंदर किरायेदार के कमरे का ताला तोड़कर अज्ञात चोर कमरे में रखा सामान लेकर फरार हो गये। किरायेदार महिला को घटना का पता चलने पर उसने चोरी की रिपोर्ट विज्ञान नगर थाने में दर्ज कराई। चोरी की घटना पास के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। विज्ञान नगर थानाधिकारी मुकेश मीणा ने बताया कि महिला अनिता ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में कहा है कि अपने बेटे के घर रायपुरा इलाके में गई थी सोमवार रात्रि को जब वापस घर आई तो कमरे का ताला टुटा हुआ था, कमरे में पूरा सामान बिखरा पड़ा था। थानाधिकारी ने बताया कि महिला ने गैस सिलेंडर की टंकी सहित कई घरेलु सामान सहित अन्य सामान चोरी होने की रिपोर्ट दी है। महिला की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटैज के आधार पर अज्ञात चोरो की तलाश शुरू कर दी है।

कार्यवाही को लेकर ज्ञापन सौंपा

कोटा (निसं)। पिछले 10 महीने पूर्व हुए सुनील योगी हत्याकांड मामले में फरार आरोंपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शहर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप कर कार्यवाही की मांग की गई। मृतक सुनील के परिजनों ने शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम को घटना की पूरी जानकारी दी साथ ही घटनाक्रम में आरोपी रिकी बना, धनू बना की गिरफ्तारी की मांग की। निखिल वर्धन का कहना है कि मुख्य आरोपी रिकी और धनु है जिसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, इस मामले को लेकर शहर एसपी से सुरक्षा व निष्पक्ष जांच की मांग की गई एवं बचे हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। शहर एसपी ने उन्हे आश्वासन दिया कि मुकदमे में निष्पक्ष जांच होगी और न्याय पूर्ण कार्रवाई की जाएगी।

ट्रेन की चपेट से विवाहिता की मौत

कोटा, (निसं)। डकनिया रेलवे स्टेशन के समीप ट्रेन से कटकर विवाहिता की मौत हो गई। महिला की ट्रेन की चपेट में आने की सूचना पाकर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के पास मिले मोबाईल के आधार पर मृतका की शिनाख्त की। जीआरपी थाने के हेड कांस्टेबल डालचंद ने बताया कि डकनिया रेलवे स्टेशन के समीप एक महिला की ट्रेन से रनओवर की सूचना मिली। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे, मृतका के पास मिले मोबाईल के आधार पर मृतका की शिनाख्त कृष्णा (34) के रूप में हुई। हेड कांस्टेबल ने बताया कि मृतक की शिनाख्त होने के बाद मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनो को सौंप दिया है। हेड कांस्टेबल ने बताया कि पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पायेगा कि मृतका ने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाईड किया है या फिर यह एक हादसा है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम 25 को

बून्दी (निसं)। राजकीय महाविद्यालय बून्दी के आंतरिक गुणवत्ता एवं आश्वासन समिति द्वारा हाईब्रिड मोड पर फेकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयेजन 25 अगस्त को किया जाएगा। नैक मूल्यांकन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. ओ.पी. शर्मा, समन्वयक डॉ. पूर्णचन्द्र उपाध्याय एवं डॉ. दिलीप कुमार राठौड द्वारा किया गया।

'हवाई सेवा का जनता से किया वादा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्ण किया'

कोटा, (निसं)। कोटा के सांसद व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा को बड़ी सौगात दी है। हवाई सेवा को लेकर जनता से किया वादा उन्होंने पूर्ण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक में 2 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। इसमें राजस्थान के कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी शामिल है। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए कैबिनेट की मीटिंग में 1507 करोड़ रुपए का बजट दिया है। इस बड़ी उपलब्धि के लिए भाजपा नेता पंकज मेहता ने हर्ष जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार व्यक्त किया है। पंकज मेहता ने कहा कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण होना चाहिए ताकी कोटा के विकास को तेजी से पंख लगें। मेहता ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से अनुसार कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण दिसंबर 2027 तक पूर्ण कर यहां से नियमित विमान सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा है। लोकसभा कैम्प कार्यालय और उड्डयन मंत्रालय की ओर से लगातार प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग की जा रही थी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार इस प्रोजेक्ट को लेकर गंभीरता से प्रयास कर रहे थे। कोटा के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मील का पत्थर साबित होगा। इस हवाई अड्डे में 3200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे होगा। मेहता ने कहा कि कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शुरू होने से उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा को नई उंचाईयां मिलेगी और कोटा की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कोटा की जनता में इस निर्णय को लेकर हर्ष व्याप्त हो गया है।

सेंट्रल जेल का औचक निरीक्षण किया

कोटा, (निसं)। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कारवाई करते हुए मंगलवार को सेंट्रल जेल में औचक सघन चैकिंग अभियान चलाया।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अनिल कुमार सिंघल और पुलिस अधीक्षक (शहर) के निर्देश पर शहर के पांच पुलिस उपाधीक्षक सहित 20 थानों के अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने जेल के विभिन्न बैरकों, अस्पताल, हाई सिक्योरिटी वार्ड और अन्य हिस्सों में तलाशी ली।

कोटा क्लब लिमिटेड की नई कार्यकारिणी का सम्मान समारोह आयोजित

■ कोटा जिला शतरंज संघ द्वारा कोटा क्लब सदस्यों का सम्मान किया गया

कोटा, (निसं)। कोटा जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष प्रेम भाटिया एवं आयोजन सचिव ईश्वर शर्मा ने बताया कि कोटा क्लब लिमिटेड के पदाधिकारी एवं सदस्यों का सम्मान समारोह का आयोजन मंगलवार को वर्कशॉप पर किया गया।

इस अवसर पर कोटा क्लब लिमिटेड के प्रेसिडेंट विमल बिहानी, वाइस प्रेसिडेंट कपिल जैन, सचिव जयदीप सिंह हाड़ा एवं कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यों का शतरंज संघ के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत सम्मान कर उन्हें शुद्ध मिट्टी से निर्मित गणेश जी की प्रतिमा उपहार स्वरुप प्रदान की गई। अंत में शतरंज संघ के अध्यक्ष प्रेम भाटिया ने धन्यवाद प्रेषित कर बताया कि पर्यावरण की सुरक्षा हेतु अनन्त चतुदर्शी के शुभ अवसर पर शुद्ध मिट्टी की मूर्ति विसर्जन हेतु 500 गणेश प्रतिमा को निःशुल्क उपलब्ध करवा जायेगी।

स्वीप के तहत माइक्रो स्तर पर टीमों का गठन किया

कोटा, (निसं)। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत कोटा जिलें में माइक्रो स्तर पर टीमों का गठन किया गया है। कोटा में आदर्श दल बने इसके लिए दिव्यांग अधिकारी एवं कार्मिकों को विधानसभावार स्वीप के तहत प्रभारी एवं सह प्रभारी बनाया गया है जिले में स्वीप के तहत स्कूल व कोलेजों में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधिया आयोजित की जा रही है। जिला स्वीप नोडल अधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत स्कूलों एवं महाविद्यालयों मे मतदाता साक्षरता क्लबों के गठन एवं महाविद्यालय स्तर पर राजकीय व निजी कॉलेजों में एम्बेसेडर बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है।

खोया-पाया

मेरे घर के मकान नंबर 2-ग-39, टीचर्स कॉलोनी, कोटा (राजस्थान) का मूल दस्तावेज (कब्जा पत्र, इंट्री लेटर, डिक्लेरेशन, अनुज्ञा पत्र, आदेश प्रमाण पत्र) कहीं गुम/खो गया है। यदि किसी को यह दस्तावेज मिले तो कृपया संपर्क करें। आशा शर्मा पत्नी श्री घनश्याम शर्मा मोबाइल 9649980028

नाम परिवर्तन

मैं, बेबी, पिता नं.15729228X हवलदार बिन्सन सेबास्टियन, निवासी ग्राम कूडारन्ही, तहसील-कोझिकोड, जिला कोझिकोड, पिन कोड 673604, ने अपना नाम सेबास्टियन (जन्म तिथि 15 अप्रैल 1965) से बदलकर बेबी (जन्म तिथि 01 जनवरी 1966) कर लिया हे। भविष्य में मुझे केवल बेबी (जन्म तिथि 01 जनवरी 1966) नाम से ही जाना और पहचाना जाएगा। शपथ पत्र संख्या BZ 379439 के अनुसार किया गया है।

कृमि मुक्ति दिवस 22 को

कोटा, (निसं)। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम (एनडीडी) के अन्तर्गत 22 अगस्त को कृमि मुक्ति दिवस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों में तथा शिक्षकों द्वारा समस्त विद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों, तकनीकी संस्थानों, मदरसों में 1 से 19 वर्ष के बच्चों एवं किशोर-किशोरियों को कृमि मुक्त करने के लिए एल्बेंडाजॉल की दवा खिलाई जायेगी तथा छूटे हुए लाभार्थियों को 29 अगस्त (मॉप अप दिवस) को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जायेगी। सीएमएचओ डॉ नरेन्द्र नागर ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन संबधित विभागों के सहयोग एवं समन्वय से होगा।

कार्यालय नगर निगम, कोटा-उत्तर (राज0)

Email :nnnorth.kota@rajasthan.gov.in Website : www.kotamc.org, Tel. Ph. 0744-2502293

क्रमांक :-ननि(उ)को/गैराज/2025/10634-45 दिनांक :-14.08.2025

-: ई-निविदा सूचना :-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, नगर निगम, कोटा-उत्तर के गैरीज अनुभाग में बजट घोषणा संख्या 29.20.00/2025-26 के अन्तर्गत 01 सुपर सकर मशीन मय 02 डंप ट्रक (Super Sucker Machine) की आपूर्ति हेतु संबंधित संवेदकों से ऑनलाईन निविदा पद्धति से नियमानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक संवेदक निविदा प्रपत्र एवं शर्तें SPPP.Rajasthan.Gov.In, Kotamc.org, https://eproc.rajasthan.gov.in/ पर प्राप्त कर सकेगें।

U.B.N. Code No. DLB2526WSRC14690 & NIB NO.DLB2526A4753

राज.संवाद/सी/25/8413 उपायुक्त (गैरीज), नगर निगम कोटा उत्तर

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-647 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक:-11.8.25

नगर विकास न्यास कोटा की रिखबचन्द धारीवाल अधिवक्ता रानपुर योजना के भूखंड/आवास संख्या 25-सी का आवंटन/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 24.09.2012 को श्री भवानी शंकर शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा को किया गया था। आवंटी श्री भवानी शंकर शर्मा की मृत्यु दिनांक 30.04.2021 को हो चुकी है। आवंटी द्वारा अपने जीवनकाल में श्रीमती सरोज सिंघल के नाम वसीयत निष्पादित कर रखी थी। मृत्यु उपरांत आवंटी के वसीयत हकदार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में मृत्यु प्रमाण पत्र, वसीयतनामा, वारिसान शपथ पत्र, आई.डी. इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखंड/आवास अपने नामहस्तांतरण करने की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अत: प्राप्त विधिक राय अनुसार जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 25-सी योजना रिखबचन्द धारीवाल अधिवक्ता रानपुर का नाम हस्तान्तरण श्रीमती सरोज गुप्ता पत्नी श्री सुरेश चंद सिंघल के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/6834 दिनांक: 19.8.25

लीज डीड निष्पादन बाबत् सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है. कि श्रीमती भंवरी बाई पत्नी श्री मोती लाल निवासी राजपूत मोहल्ला, केशवपुरा, कोटा (राज.) ने बहैसियत मुख्तार आम श्री रामकुमार पुत्र श्री रामदेव निवासी केशवपुरा, कोटा (राज.) के नगर निगम, कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड संख्या 27, केशोपुरा, कोटा क्षेत्रफल 450 वर्ग फुट का लीज डीड निष्पादन श्री रामकुमार पुत्र श्री रामदेव के नाम करवाये जाने का निवेदन किया है। भूखण्ड संख्या 27 केशोपुरा, कोटा क्षेत्रफल 450 वर्ग फुट का आवंटन कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा पत्र क्रमांक एफ (167)आवंटन/न.वि.न्यास/दिनांक 24.04.1986 से श्री रामकुमार पुत्र श्री राम देव को किया गया। श्री रामकुमार ने जर्ये नोटेरी मुख्तारनामा आम तहरीरी तारीख 20.01.1997 से श्रीमती भंवरी बाई पत्नी श्री मोती लाल को उक्त भूखण्ड का मुख्तार आम नियुक्त कर दिया। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम, कोटा दक्षिण में उक्त भूखण्ड के लीज डीड निष्पादन की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखण्ड का लीज डीड निष्पादन करवाये जाने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त, नगर निगम, कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/6833 दिनांक: 19.8.25

लीज डीड निष्पादन बाबत् सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि श्री राज कुमार आहुजा पुत्र स्व. श्री लालचन्द आहूजा व श्री विजय कुमार आहूजा पुत्र स्व. श्री लालचन्द आहूजा निवासी भूखण्ड संख्या 36-बी बंजारा कालोनी अशोका कालोनी कोटा (राज.) ने नगर निगम, कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड संख्या 36, वल्लभ नगर, कोटा से लगी भूपट्टी क्षेत्रफल 360 वर्ग फुट का लीज डीड निष्पादन स्वयं के नाम करवाये जाने का निवेदन किया है। भूखण्ड संख्या 36, वल्लभ नगर, कोटा से लगी भूपट्टी क्षेत्रफल 360 वर्ग फुट का उपयोग एवं अभिग्रहण करने हेतु लाईसेन्स कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा पत्र क्रमांक एफ (322)विक्रय/न.वि. न्यास/79 दिनांक 09.11.1979 से श्री लालचन्द आहुजा पुत्र श्री चेटूमल के नाम जारी किया गया। श्री लालचन्द आहूजा का देहावसान दिनांक 18.06.2003 को हो जाने के उपरान्त श्री लालचन्द आहूजा के विधिक वारिसान श्रीमती कंचन डोडेजा (बिट्टू) पुत्री स्व. श्री लालचन्द आहूजा पत्नी श्री गुलशन दोडेजा, श्रीमती अंजू (मीना) पुत्री स्व. श्री लालचन्द आहूजा पत्नी श्री सूरज कुमार, श्रीमती मिनाक्षी कुकरेजा (अनु) पुत्री स्व. श्री लालचन्द आहूजा पत्नी श्री किशोर कुकरेजा, श्री वर्षा चावला (सोना) पुत्री स्व. श्री लालचन्द आहूजा पत्नी श्री गगन चावला एवं श्रीमती हर्षा लालवानी (रंजिता) पुत्री स्व. श्री लालचन्द आहूजा पत्नी श्री विष्णु कुमार लालवानी ने जर्ये रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 08.07.2025 से उक्त भूपट्टी में से स्वयं का हक श्री राज कुमार आहुजा पुत्र स्व. श्री लालचन्द आहूजा व श्री विजय कुमार आहूजा पुत्र स्व. श्री लालबन्द आहूजा के पक्ष में त्याग दिया है। आवेदको द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम, कोटा दक्षिण में उक्त भूपट्टी के लीज डीड निष्पादन की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूपट्टी का लीज डीड निष्पादन आवेदकों के नाम करवाये जाने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त, नगर निगम, कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ/तहसील/क.ब./2025/1092 दिनांक:-19.8.25

नाम हस्तान्तरण हेतु विज्ञप्ति आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा कच्ची बस्ती नियमन के तहत सर्वे संख्या 9/98 कच्ची गोविन्द नगर का पट्टा नियमन क्रमांक नियम/आवंटन/1275 दिनांक 01.03.1974 को श्री मोतीलाल पुत्र बालूराम को आवंटित किया गया था। आवंटी श्री मोतीलाल का स्वर्गवास दिनांक 19.12.2007 को हो जाने के कारण आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री रामलाल पुत्र स्व. श्री मोतीलाल ने स्वयं के नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया है। जिसका नाम हस्तांतरण प्रस्तावित है।

अत: उक्त नाम हस्तांतरण के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह 7 दिवस में अपनी आपत्ति कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित में प्रस्तुत कर देवें। अन्यथा बाद मियाद उक्त आवास का नाम हस्तान्तरण श्री रामलाल पुत्र स्व. श्री मोतीलाल के नाम से कर दिया जावेगा।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2025/1416 दिनांक:-19.8.2025

नाम हस्तान्तरण बाबत आम सूचना

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास/भूखंड संख्या-102 विश्वकर्मा ऑटोमोबाईल नगर व्यवसायिक योजना का आवंटन न्यास के पत्र क्रमांक-179 दिनांक 05.12.1999 द्वारा श्री मैसर्स जीमल कमानी रिपेयरिंग वर्क्स प्रो. निसारुद्दीन पुत्र श्री जमीलुद्दीन को आवंटित किया गया था। श्री मैसर्स जीमल कमानी रिपेयरिंग वर्क्स प्रो. निसारुद्दीन के द्वारा श्री प्रमोद कुमार विजय पुत्र श्री बजरंग लाल विजय को उक्त भूखंड की कार्यवाही के संबंध में मुख्तारआम नियुक्त किया गया है। श्री प्रमोद कुमार विजय पुत्र श्री बजरंग लाल विजय के द्वारा मुख्तारआम के आधार पर उक्त भूखंड का बैचान जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 05.03.2024 को श्री नरेश कुमार पुत्र श्री रंगल दास को उक्त भूखंड का बैचान कर दिया है। श्री नरेश कुमार पुत्र श्री रंगल दास के द्वारा अपने नाम उक्त भूखंड का नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास/भूखंड संख्या-102 विश्वकर्मा ऑटोमोबाईल नगर व्यवसायिक योजना का नाम हस्तांतरण श्री नरेश कुमार पुत्र श्री रंगल दास के नाम कर दिया जावेगा।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2025/437 दिनांक:-8.8.25

नाम हस्तान्तरण स्वीकृति चाहने बाबत आम सूचना

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास/भूखंड संख्या 293 केशवपुरा 4 योजना का आवंटन न्यास के पत्र क्रमांक 290 दिनांक 28.02.1981 द्वारा श्री पुरुषोत्तम शर्मा पुत्र श्री नन्द लाल को आवंटित किया गया था। श्री पुरुषोत्तम शर्मा की मृत्यु दिनांक 19.06.2023 को हो चुकी है। मृत्यु के पश्चात पुरुषोत्तम शर्मा के विधिक वारिसान के द्वारा श्री भानु शर्मा पुत्र स्व. श्री पुरुषोत्तम शर्मा के पक्ष में हक का त्याग किया गया है। हकत्याग ग्रहिता श्री भानु शर्मा पुत्र स्व. श्री पुरुषोत्तम शर्मा के नाम हस्तांतरण चाहा गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास/भूखंड संख्या 293 केशवपुरा 4 योजना का नाम हस्तांतरण श्री भानु शर्मा पुत्र स्व. श्री पुरुषोत्तम शर्मा के नाम से जारी कर दी जायेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-392 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक:-6.8.25

नगर विकास न्यास कोटा की विवेकानन्द नगर आवासीय योजना के भूखंड/आवास संख्या 854 का आवंटन/विक्रय/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 07.08.2001 को श्रीमती मोहनी बाई पत्नी श्री भौलू लाल नागर को किया गया था। आवंटी द्वारा उक्त भूखंड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री सूरज मल जैन द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.10.2018 को श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा उक्त भूखंड/आवास का अपने नामहस्तांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 854 योजना विवेकानन्द नगर आवासीय का नाम हस्तांतरण श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां

क्रमांक: न.पा.छ./2025/3939 प्रारुप-10 (नियम 6 (7) देखिए) दिनांक:-19.8.25

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगरपालिका छबड़ा जिला बारां

लोक सूचना

आवेदक श्रीमती भूरी बाई पत्नी श्री बद्रीलाल जाति गाडरी निवासी छबड़ा एवं श्री राधाकिशन पुत्र श्री गोपाल जाति गाडरी निवासी छबड़ा तहसील छबड़ा ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक आवासीय प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

तहसील व जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं. क्षेत्र
छबड़ा जिला बारां	छबड़ा	226/1 रकबा 0.4553 हेक्टेयर
	छबड़ा	1396/226 रकबा 0.4679 हेक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय 7 दिवस के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 19.8.25 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी/अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर परिषद बून्दी (राज.)